न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,

पीठासीन अधिकारी :– मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 149/2024
प्रार्थी :–

राजस्थान सरकार,
जरिये तहसीलदार बिलाडा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131,132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :– तहसीलदार बिलाडा

निर्णय **दिनांकः–** 24/09/24

यह प्रकरण तरमीम शुद्धि विशेष अभियान के तहत तहसीलदार द्वारा मौके पर चल रहे रास्तों को राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 के तहत राजस्थान सरकार के राजस्व(ग्रप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प–3(2) राज–6/04 दिनांक 10.08. 2016 के क्रम प्रस्तुत किया गया, जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।

प्रार्थना पत्र अनुसार मौजा ग्राम बीनावास पटवार मण्डल बीनावास भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कापरडा तहसील बिलाड़ा

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा हैक्टयर	किस्म	प्रभावित रकबा	लम्बाई*चौडाई
1	श्री सरकार	371/48	0.0081	बा.चतुर्थ	0.0081	43.56*20 फीट

उपरोक्त भूमि जो राजस्व रेकर्ड जिसमें राजस्थान सरकार के रूप में दर्ज है। उक्त भूमि पर लाल स्याही से बताये गये रकबे पर रास्ता मौके पर चालू होना बताया है पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक ने भी मौके पर रास्ता चालू होना बताया गया है। रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने को उचित बताया गया है।

उक्त प्रकरण को आज तरमीम शुद्धि विशेष अभियान बीनावास में रखा गया। पत्रावली का अध्ययन किया गया, राजस्व रेकर्ड एवं मौका निरीक्षण किया गया। साथ ही ग्राम पंचायत बीनावास द्वारा पंचायत की मासिक बैठक दौरान सभी वार्ड पंचों व सरपंच की सहमति से उक्त खसरे से जाने वाले रास्ते को गै.मु.रास्ता के रूप में परिवर्तित करने के प्रस्ताव को सर्वसहमति से पारित किया गया जिसकी प्रति संलग्न है। तहसीलदार बिलाडा के आवेदन पत्र व पटवारी हल्का व निरीक्षक भू.अ. की रिपोर्ट एवं तहसीलदार बिलाडा द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के नियम 58(3) के प्रावधानों को

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

ध्यान में रखते हुए की गयी रिपोर्ट व गश्त गिरदावरी के अनुसार मौजा बीनावास भू.अ.निरीक्षक कापरडा तहसील बिलाडा में स्थित सारणी में दर्शाये गये रास्ते की चौडाई, रास्ते की लम्बाई (गट्ठे में) एवं रास्ते का क्षेत्रफल (रकबा में) को संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाये गये रास्ते को राजस्व रेकर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार बिलाडा को दिये जाते है। नक्शे व जमाबंदी में पृथक से व रास्ते के रकबे सहित श्री सरकार के खाते में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। संलग्न नजरी नक्शा इस आदेश का अंग समझा जायेगा।

(मृदुला शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 24/07/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा